

समाहरणालय, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।
(जिला नीलाम पत्र प्रशाखा)

पत्रांक. 949 / दिनांक. 23/9/13

आदेश

वाणिज्य कर से संबंधित सभी नीलाम पत्र वादों के निष्पादन हेतु वाणिज्य कर पदाधिकारी को नीलाम पत्र पदाधिकारी की शक्ति प्रदत्त है।

अतः वाणिज्य कर से संबंधित सभी नीलाम पत्र वादों को निष्पदनार्थ सहायक वाणिज्य कर आयुक्त, पूर्वी चम्पारण/रकड़ेल हस्तान्तरित किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि वे जिला नीलाम पत्र कार्यालय से संबंधित अभिलेख प्राप्त कर बिहार एवं उड़िसा लोक गोंग वसूली अधिनियम-1914 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही प्रत्येक माह के 25 तारीख तक नीलाम पत्र वादों का मासिक प्रगति प्रतिवेदन जिला नीलाम पत्र कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करेंगे।

हो —————

जिला दण्डाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

ज्ञापांक. 949 दिनांक. 23/9/13 रकड़ेल
प्रतिलिपि:— सहायक, वाणिज्य कर आयुक्त, पूर्वी चम्पारण/मोतिहारी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि श्री अमित कुमार, नीलाम पत्र पदाधिकारी, चम्पारण को अनुपालनार्थ प्रेषित।
20/9/13

जिला दण्डाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।